न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ।

फौजदारी विविध वाद स. 307/2022

श्रीमति दीप शिखा बनाम सुमित।

दिनांक–25.06.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर प्रार्थिनी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिनी की ओर से आदेशपत्र पर अंकित किया गया कि परिवादिनी द्वारा इजराय में वर्णित धनराशि प्राप्त कर ली गयी है। इस कारण वह इस निष्पादन वाद की कार्यवाही को समाप्त कराना चाहती है। क्योंकि प्रार्थिनी का इजराय में वर्णित धनराशि प्राप्त कर ली गयी है और वह वाद को आगे चलाना नहीं चाहती है। इस कारण इस निष्पादन वाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

निष्पादन वाद सं0 307/2022 की कार्यवाही समाप्त की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली पूर्ण संतुष्टि में नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

। **शिवेन्द्र शर्मा।**
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मवाना, मेरठ ।
I.D.No.UP.3792

विविध वाद–221/2009
अजय काकरान बनाम श्रीमति सुषमा

दिनांक–06.03.2020

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। बार –बार पुकार करायी गयी । पत्रावली वास्ते सुनवाई लंच बाद पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
मवाना, मेरठ ।

लंच बाद पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी । बार –बार पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी पूर्व की तिथियों पर भी अनुपस्थित था जबकि परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा चुके है और दिनांक 01.01.2020 को परिवादी को अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। आज भी परिवादी उपस्थित नही है न ही कोई स्थगन प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है कि परिवादी परिवाद को चलाने मे कोई रूचि नही है। अतः' परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति व अदम पेरवी में खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
मवाना, मेरठ ।